



2026:AHC-LKO:15776-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जेल अपील संख्या - 66 सन् 2021

एतवारी

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्तागण की ओर से अधिवक्ता : जेल अपील, दिवाकर सिंह

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 10

निर्णय सुरक्षित किया गया : 08.12.2025

निर्णय सुनाया गया : 26.02.2026

ए.एफ.आर.

माननीय न्यायमूर्ति राजनिश कुमार

माननीय न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद

(द्वारा : न्यायमूर्ति राजनिश कुमार)

(1) यह जेल अपील, विशेष सत्र विचारण संख्या 01/2023 (राज्य बनाम एतवारी और अन्य) में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 8 / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, उन्नाव द्वारा 21.01.2015 को दिए गए फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है जो मुकदमा अपराध संख्या 249/2013 अंतर्गत धारा 34 बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (जिसे आगे पॉक्सो एक्ट कहा जाएगा) थाना कोतवाली जिला उन्नाव से उत्पन्न हुआ है जिसके माध्यम से एतवारी और रमज़ान उर्फ रमज़ानी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई; जुर्माना न भरने पर उन्हें एक साल की कठोर कैद भुगतनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि दोनों जुर्माने की कुल राशि का 50% हिस्सा पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर दिया जाएगा। विचारण न्यायालय ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण नियम' के नियम 7 के तहत पीड़ित को मुआवज़ा देने की सिफारिश भी की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) अपीलकर्ता की ओर से न्यायमित्र श्री दिवाकर सिंह और राज्य की ओर से एजीए श्री पवन कुमार मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

(3) अपीलकर्ता के न्यायमित्र ने तर्क दिया कि अभिलेख पर मौजूद सबूतों और सामग्री पर ठीक से विचार किए बिना, विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को गलत और गैर-कानूनी तरीके से दोषी ठहराया गया और सज़ा दी गई। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और यह मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है, लेकिन परिस्थितियों की कड़ी पूरी नहीं है; इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध अपीलकर्ता ने ही किया है और उसे दोषी ठहराया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता को केवल दुश्मनी के कारण मामले में फंसाया गया है और विवेचना पक्षपातपूर्ण है; यह विवेचना केवल अपीलकर्ता को फंसाने के मकसद से की गई थी, क्योंकि अपराध की प्रकृति को देखते हुए पुलिस पर मामले को सुलझाने का दबाव था। इस प्रकार, विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून की नज़र में सतत नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को बरी किया जाना चाहिए।

(4) विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान न्यायमित्र के तर्कों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को कानून के अनुसार सही ढंग से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जिसमें मामले पर उचित विचार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने एक नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध किया, जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, लेकिन परिस्थितियों की कड़ी पूरी है, जो केवल अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता झूठे आरोप का कोई कारण नहीं बता पाया और दुश्मनी का तर्क साबित नहीं हो सका। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा बताई गई दुश्मनी की वजह बहुत ही अविश्वसनीय है, जिसके कारण माता-पिता अपनी नाबालिग बेटी की प्रतिष्ठा की कीमत पर उसे फंसाते। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी विशेष आवश्यकता वाली व्यक्ति, यानी पीड़िता, द्वारा बताई गई बातों को समझने के लिए माता-पिता ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार, तर्क यह है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून के अनुसार सही ढंग से पारित किया गया है, जिसमें अभिलेख पर मौजूद सबूतों और सामग्री पर विचार करने के बाद एक तर्कपूर्ण और विस्तृत आदेश दिया गया है; इसमें कोई ऐसी अवैधता या त्रुटि नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई वर्तमान जेल अपील गलतफहमी पर आधारित है और इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

(5) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख देखे।

(6) अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता जयपाल यादव (पिता श्री हीरालाल यादव, निवासी 64, अनवर नगर, चौकी किला, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव) ने एक लिखित रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि उनके पिता इब्राहिम बाग चौराहे पर चाय की दुकान चलाते हैं, जिससे वे दोनों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपनी आजीविका चलाते हैं। कल यानी 11.02.2013 को रात लगभग 8:30 बजे, शिकायतकर्ता की लगभग 8 साल की बहन शौच के लिए गई थी, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसलिए, शिकायतकर्ता और उसके पिता उसे खोजने गए। उन्हें मोहल्ला पहली खेड़ा निवासी रमेश (धोबी) की चारदिवारी के अंदर से पीड़िता के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वे वहाँ गए और देखा कि पीड़िता के गुप्तांग से खून बह रहा था और उसका मुँह कपड़े से कसकर बंद किया गया था। कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था और उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। वे पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। लिखित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घटना से पहले, एतवारी जो बडक्के की चाय की दुकान पर काम करता है और अफ़ज़ल की मुर्गे की आदत पर रहता है को वहाँ देखा गया था और घटना के बाद भी उसे वहाँ देखा गया था। कुछ लोगों ने उसे पीड़िता को ले जाते हुए भी देखा था और शिकायतकर्ता को यकीन है कि यह घटना और गलत काम एतवारी ने ही किया है। लिखित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस घटना को देखने और इसके बारे में सुनने के बाद इलाके की महिलाओं में डर और दहशत का माहौल है।

(7) ऊपर बताई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना के बाद, पाँक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत एतवारी और रमज़ान उर्फ़ रमज़ानी के खिलाफ़ आरोप पत्र (प्रदर्श क-8) दाखिल की गई, जिस पर 29.05.2013 को सत्र न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। इसके बाद, आरोपियों को अभियोजन पक्ष के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के बाद, उन पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई की गई और एतवारी तथा रमज़ान उर्फ़ रमज़ानी के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया सबूत होने के कारण, पाँक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए। आरोपियों ने आरोप से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

(8) अपना वाद साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता जयपाल को पीडब्लू-1, हीरालाल को पीडब्लू-2, कांस्टेबल नज़रुल हसन को पीडब्लू-3, डॉ. संजू अग्रवाल को पीडब्लू-4, पीड़िता को पीडब्लू-5, विवेक दुबे को पीडब्लू-6, विवेचना अधिकारी कृपा शंकर सरोज को पीडब्लू-7, विवेचना अधिकारी कल्लू राम भारती को पीडब्लू-8, डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी को पीडब्लू-9, महेश को पीडब्लू-10, शिवकुमार को पीडब्लू-11, कांस्टेबल 694 मोहम्मद अफ़ज़ल को पीडब्लू-12, सैयद मोहम्मद अज़मेरी को पीडब्लू-13 और अशोक कुमार को पीडब्लू-14 के तौर पर उपस्थित किया। पीडब्लू-13 और पीडब्लू-14 को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष ने उनसे जिरह की।

(9) अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज़ी सबूत भी अभिलेख पर रखे और उन्हें साबित किया।

(10) हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख देखे हैं।

(11) पीडब्लू-1 शिकायतकर्ता ने बताया कि इब्राहिम बाग क्रॉसिंग पर उनके पिता और उनका चाय का होटल है। 11.02.2013 को, उसकी लगभग 8 साल की बहन दुकान से शौच के लिए गई थी और जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो वह और उसके पिता उसे खोजने गए। उन्होंने रमेश (धोबी) के प्लॉट से अपनी बहन के कराहने की आवाज़ सुनी और जब वे पीड़िता के पास पहुँचे, तो उसे खून से लथपथ पाया; उसके मुँह पर कपड़ा भी कसकर बंधा हुआ था। यह देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा; पहले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वे पीड़िता को अपनी दुकान पर लाए और फिर उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने पीड़िता को हैलेट अस्पताल, कानपुर ले जाने की सलाह दी। पीडब्लू-2, जो पीड़िता और शिकायतकर्ता दोनों के पिता हैं, ने पीडब्लू-1 की बात का समर्थन करते हुए बताया कि 11.02.2013 को रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच वे इब्राहिम बाग क्रॉसिंग पर स्थित अपनी चाय की दुकान पर अपनी बेटी (पीड़िता) के साथ थे, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। पीड़िता शौच के लिए गई थी और जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो वे उसे खोजने गए और उसे रमेश (धोबी) के प्लॉट की चारदिवारी में पाया। उन्होंने देखा कि पीड़िता गंभीर रूप से घायल थी, उसके उपस्थिताब के रास्ते से खून बह रहा था और उसका मुँह व गला कसकर बंधा हुआ था। वे पीड़िता को जिला अस्पताल, उन्नाव ले गए, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर ले गए।

(12) डॉ. संजू अग्रवाल पीडब्लू-4 के तौर पर उपस्थित हुईं। उन्होंने पीड़िता की मेडिकल विवेचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के तौर पर साबित किया; यह विवेचना उन्होंने 11.02.2023 को रात 10:00 बजे जिला अस्पताल, उन्नाव में की थी। उन्होंने बताया कि लड़की की हालत बहुत गंभीर थी। पीड़िता की दाहिनी आंख पर चोट और सूजन थी। उसकी सामान्य हालत बहुत खराब थी। दोनों पैरों पर खून के धब्बे थे। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। योनि फटी हुई थी और यह घाव मलाशय तक जा रहा था। गुदा का स्फिंक्टर भी फटा हुआ था। लड़की को प्राथमिक उपचार दिया गया और योनि से स्वेब लेकर विवेचना के लिए लैब भेजा गया। बेहतर इलाज के लिए उसे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर भेजा गया। यह भी बताया गया कि नीली लुंगी, कोका-कोला रंग की चादर और खून से सने कपड़े का टुकड़ा सील करके पुलिस को सौंप दिया गया। इस तरह, यह साबित हो गया है कि पीड़िता एक प्लॉट में बहुत गंभीर हालत में मिली थी और मेडिकल विवेचना रिपोर्ट उस हालत की पुष्टि करती है जिसके बारे में पीड़िता के भाई (जो शिकायतकर्ता है) और पिता ने बताया था।

(13) जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी पीडब्लू-9 के तौर पर उपस्थित हुए और बताया कि पीड़िता (उम्र लगभग 7 साल, पिता हीरालाल, निवासी 64 अनवर नगर, थाना कोतवाली उन्नाव) को 11.02.2023 को रात 11:50 बजे मैटरनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉ. अंशु मिश्रा की टीम ने पीड़िता को देखा था और भर्ती करने के बाद उसे ऑपरेशन के लिए सर्जरी विभाग रेफर कर दिया गया था। इसके बाद, डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम ने पीड़िता को देखा और पाया कि उसके शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा चोटें थीं और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। लड़की विवेचना नहीं करने दे रही थी, इसलिए खून चढ़ाने के बाद, उसे बेहोश करके विवेचना और सर्जरी करने की योजना बनाई गई। इसके अनुसार, अगली सुबह ऑपरेशन थिएटर में उसे बेहोश करके पीड़िता की विवेचना की गई, जिसमें डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी और डॉ. अंशु मिश्रा को निम्नलिखित पांच चोटें मिलीं:-

- “ (1) उपस्थिताब के रास्ते के आस पास के हिस्से पर चोट था लेकिन उपस्थिताब की नली ठीक थी ।
- (2) बच्चे की बेबी xxxxxx की बच्चेदानी की नीचे की दीवार दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ 4 से 5 से.मी. की गरहाई तक पूरे तौर पर फटी हुई थी ।
- (3) बच्चेदानी और लेटरिन के बीच की जगह पूरे तौर पर फटी हुई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (4) बेबी XXXX के लेटरिन का रास्ता (मल द्वार) के ऊपरी हिस्से में 4 से 5 से.मी. गहरा घाव था । मल द्वार की ऊपरी दीवार कैंटीरियर कॉन्ट्राइर वॉल) लगभग 4 से 5 से.मी. तक पूरे तौर पर फटी हुई थी।
(5) इसे 4th डिग्री पेरिनेल, टियर माना गया ”

(14) उन्होंने आगे बताया कि फटे हुए सभी हिस्सों को सिल दिया गया था और पेट से मल त्यागने का रास्ता बनाया गया था, ताकि मल नीचे की ओर न जाए और भविष्य में चोट को और नुकसान न पहुँचे। यह सब पीड़िता के पिता को सूचित करने और उनकी सहमति से किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता को 10 दिनों तक स्त्री रोग विभाग में रखा गया और उसके बाद सर्जरी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 11.02.2013 को रात 10:00 बजे जिला अस्पताल, उन्नाव में प्राथमिक उपचार के बाद उसे एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया था। उन्होंने मेडिकल विवेचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया। जिरह के दौरान, उन्होंने मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने साक्ष्य का समर्थन किया और उनसे ऐसी कोई बात नहीं निकलवाई जा सकी जिससे पीड़िता की चिकित्सीय स्थिति और उसे दिए गए उपचार के बारे में कोई संदेह पैदा हो सके।

(15) विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि पीड़िता की मेडिकल विवेचना रिपोर्ट पीडब्लू-4 द्वारा प्रमाणित की गई है और उनसे किसी ने भी जिरह नहीं की है, इसलिए उनका बयान पूरी तरह से विश्वसनीय है। पीड़िता के बाद के उपचार को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी जो पीडब्लू-9 के रूप में उपस्थित हुए) ने प्रमाणित किया है। पीड़िता के चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि घटना के समय पीड़िता के साथ बलात्कार का गंभीर अपराध किया गया था। यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाता है।

(16) शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि बडक्के की चाय की दुकान उसकी दुकान के पास और अफजल की चिकन कमीशन एजेंसी (आढ़त) के पास है। आरोपी एतवारी इन्हीं दुकानों में रहता है और एक-दो लोगों ने उसकी बहन को आरोपी एतवारी के साथ जाते देखा था, जिसका उल्लेख एफआईआर में भी किया गया है; इसी वजह से यह आशंका जताई गई थी और शिकायतकर्ता को पूरा विश्वास है कि यह घटना और कुकृत्य एतवारी द्वारा ही किया गया है।

(17) पीडब्लू-2, हीरालाल ने बताया है कि घटना के एक महीने बाद, जब उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो गई, तो उसने बताया कि ककवार (एतवारी) और रमज़ानी ने उसके साथ गलत काम किया था। रमज़ानी, अफज़ल की चिकन कमीशन एजेंसी पर मुर्गियों की गाड़ी लाता था और अपनी दुकान के पास उन्हें काटकर बेचता था। वे दोनों उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। घटना की जानकारी उसके बेटे जयपाल ने थाने में दी थी और जब उसकी बेटी ने उसे आरोपियों के नाम बताए, तो उसने घटना की लिखित जानकारी थाने में दी; यह पेपर संख्या 8क/2 है, जिसे उसने लिखा और उस पर हस्ताक्षर किए थे, और इसे प्रदर्श क-2 के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस तरह, पीड़िता के पिता ने जो नाम बताए, वे वही हैं जो पीड़िता ने अपने पिता और शिकायतकर्ता को बताए थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(18) शिकायतकर्ता और उसके पिता का लगातार यही कहना है कि पीड़िता उनकी दुकान से शौच के लिए गई थी, तभी इलाके के कुछ लोगों ने आरोपी को उस तरफ और पीड़िता के साथ जाते हुए देखा था। महेश (पीडब्लू-10) ने बताया कि वह सुपरहाउस में काम करता है और अनवर नगर में रहता है। वह हीरालाल को जानता है, जो उसके परिवार का ही सदस्य है। हाईवे पर हीरालाल की चाय की दुकान है। यह घटना 14 महीने पहले की है। घटना वाले दिन वह शाम 6:00 बजे घर लौटा और उसके बाद चाय पीने हीरालाल की दुकान पर गया। उस समय हीरालाल की लगभग 7 साल की बेटी भी दुकान पर थी। रात करीब 8:30 बजे वह शौच के लिए इब्राहिम बाग के खेत की तरफ गई। जब वह दुकान पर बैठा था, तभी इतवारी और रमज़ानी जिनकी दुकानें हीरालाल की दुकान के सामने चिकन की हैं दुकान पर आए; जब पीड़िता शौच के लिए गई, तो वे भी उसके पीछे-पीछे गए। कुछ देर बाद वह अपने घर लौट आया। रात करीब 9:30-10:00 बजे उसे पता चला कि पीड़िता के साथ कोई गलत काम हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह खबर सुनकर वह दौड़कर आया और देखा कि हीरालाल और काली प्रसाद पीड़िता के साथ थे, जो खून से लथपथ थी। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि यह गलत काम रमज़ानी और इतवारी ने किया है, जो उसके पीछे गए थे। जिरह के दौरान, उसने इस बात से इनकार किया कि इतवारी से उसकी कोई दुश्मनी है। उसने यह भी बताया कि घटना वाले दिन निरीक्षक ने हीरालाल की दुकान के पास उससे पूछताछ की थी। आगे की पूछताछ में उसने बताया कि पीड़िता शौच के लिए अकेली गई थी और उसने किसी को पीड़िता को ले जाते हुए नहीं देखा था। जिरह के दौरान उसने यह भी बताया कि इतवारी हीरालाल की दुकान पर आया था और दुकान से इतवारी और रमज़ानी पीड़िता के पीछे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में विवेचना अधिकारी को यह सब बताया था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि विवेचना अधिकारी ने रमज़ानी का नाम क्यों नहीं लिखा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि वह पहली बार रमज़ानी का नाम ले रहे हैं। इस तरह, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

(19) पीडब्लू-11, शिव कुमार ने बताया कि यह घटना 13-14 महीने पहले की है। वह उन्नाव बाज़ार गए थे और रात 9 बजे अनवर नगर होते हुए खरीदारी करके घर लौट रहे थे। जब वह हीरालाल के होटल के पास पहुँचे, तो एतवारी और रमज़ानी बहुत जल्दी में और घबराए हुए थे। उन्होंने एतवारी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कुछ नहीं कहा और वे दोनों तेज़ी से चले गए। वह एतवारी और रमज़ानी को पहले से जानते थे; उनकी चिकन की दुकान हीरालाल की चाय की दुकान के सामने है और वह हीरालाल के होटल में चाय पीने जाते थे, इसलिए उन्हें जानते हैं। उस रात चीख-पुकार मची थी और पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। उन्हें पता चला कि हीरालाल की 7 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। वह रात में घटना स्थल पर नहीं गए थे। उन्होंने आगे बताया कि एतवारी और रमज़ानी उसी जगह से आ रहे थे जहाँ लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। जिरह में उन्होंने बताया कि उनका बयान घटना के 2-3 दिन बाद दर्ज किया गया था; उन्होंने अपने बयान में एतवारी और रमज़ानी का नाम बताया था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे क्यों नहीं लिखा गया। इस तरह, इस गवाह ने भी आरोपियों की मौजूदगी और घटना स्थल से उनके वापस आने के मामले में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। उन्होंने इस सुझाव से भी इनकार किया कि एतवारी के साथ उनकी कोई तीखी बहस या गाली-गलौज हुई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(20) एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत अशोक पिता: घुन्नी प्रसाद ने लिखी थी। पीडब्लू-1, शिकायतकर्ता ने अपनी गवाही में कहा है कि उन्होंने अशोक से लिखवाकर कोतवाली में रिपोर्ट दी थी; रिपोर्ट अशोक ने लिखी थी और उन्हें पढ़कर सुनाई थी, और शिकायतकर्ता ने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे और फिर कोतवाली में सौंप दी थी। उनकी रिपोर्ट लिखी गई थी और निरीक्षक ने उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने पेपर संख्या क-4/2 को प्रमाणित किया, जिसे उन्हें पढ़कर सुनाया गया था, और कहा कि यह वही रिपोर्ट है जिसे अशोक से लिखवाया गया था और जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसे प्रदर्श क-1 के तौर पर मार्क किया गया था।

(21) अशोक कुमार पीडब्लू-14 के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच, उन्हें पता चला कि पीड़िता के साथ गलत काम हुआ है। पीड़िता का भाई जयपाल उनके पास आया था। वे दुकान पर थे। जयपाल ने मदद मांगी, और फिर वे जयपाल के साथ पीड़िता को अस्पताल ले गए, जहाँ उसके भाई ने उसे भर्ती कराया। अगले दिन, जयपाल ने इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और उन्नाव जिले के कोतवाली थाने में दी। उन्होंने लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श क-1 के तौर पर साबित किया। हालाँकि उन्हें पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि लिखित रिपोर्ट उन्होंने ही लिखी थी, जैसा कि शिकायतकर्ता जयपाल ने बताया था, और उसके बाद इसे कोतवाली थाने में दिया गया था। पीड़िता को जिला अस्पताल, उन्नाव से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर रेफर किया गया था। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि भले ही उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी मुख्य गवाही में यह साबित किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता जयपाल के बताए अनुसार रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) लिखी थी। उन्होंने यह भी माना कि वे हीरालाल और उनकी बेटी को जानते हैं, जो उनके मोहल्ले के हैं, और यह भी कि एतवारी ने गलत काम किया था, जिसके बारे में उसने पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कई लोगों के सामने बताया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब पीड़िता के साथ गलत काम हुआ, तो पीड़िता का भाई जयपाल मदद के लिए उनके पास आया था, और तब वे पीड़िता को लेकर उसके साथ अस्पताल गए थे। इस तरह, इस गवाह ने आरोपी द्वारा किए गए न्यायालय के बाहर किए गए इकबालिया बयान को भी साबित किया है।

(22) दूसरे विवेचना अधिकारी, श्री कृपा शंकर सरोज (प्रभारी निरीक्षक), पीडब्लू-7 के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 16.02.2013 को वे उन्नाव जिले के कोतवाली थाने में प्रभारी निरीक्षक के तौर पर तैनात थे और उन्होंने खुद विवेचना का काम संभाला और पहले विवेचना अधिकारी के पेपर संख्या 1, 2, 3 और 4 को देखा। उन्होंने बताया कि 22.03.2013 को पीड़िता के पिता हीरालाल ने उन्हें एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि कानपुर से लौटने के बाद उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उनके नाम ककुआ और रमज़ानी हैं। सीडी में यह बात दर्ज करने और आवेदन को सीडी के साथ जोड़ने के बाद, उन्होंने उसी तारीख को पीड़िता के पिता हीरालाल का बयान दर्ज किया और उनके साथ उनके घर पहुँचे। उन्होंने पीड़िता से पूछताछ की लेकिन बातें साफ नहीं हो पा रही थीं और वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसके पिता के ज़रिए सवाल-जवाब के आधार पर उसका बयान दर्ज किया गया। उसने कुछ बातें मुँह से और कुछ बातें इशारों से बताईं। उसके बयान की वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसे सीडी में अभिलेख किया गया, जो पेपर 6 क/4 है और उस पर उनके, पीड़िता के पिता और दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं और उसे प्रदर्श

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क-6 के तौर पर मार्क किया गया। इस तरह, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। उन्होंने आगे बताया कि दो गवाहों, शिव कुमार और शाहिद के बयान भी दर्ज किए गए। इस तरह, पीड़िता और शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर रमज़ानी उर्फ रमज़ान का नाम भी सामने आया और 24.03.2013 को उन्होंने रमज़ानी उर्फ रमज़ान को गिरफ्तार किया। 25.03.2013 को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 जोड़ी गई और 09.04.2013 को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान कैसे दर्ज किया गया और वीडियोग्राफी कैसे कराई गई। पीड़िता के बयान में रमज़ानी का नाम सामने आया और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे बताए गए तरीके से बयान दर्ज करने पर कोई शक पैदा हो सके।

(23) विवेक दुबे पीडब्लू-6 के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने साबित किया कि वीडियो अभिलेखिंग उन्होंने ही की थी। उन्होंने पीड़िता का नाम भी बताया और कहा कि वह इतनी डरी हुई थी कि ठीक से बोल नहीं पा रही थी और अपने पिता की बातों को समझने के बाद धीरे-धीरे जवाब दे रही थी। निरीक्षक जो सवाल पूछ रहे थे, वे उसके पिता उससे पूछ रहे थे और वह धीरे-धीरे उनका जवाब दे रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कोतवाली के निरीक्षक को एक सीडी कैसेट दी थी, जिसे उन्होंने ही तैयार किया था। सील बंद सीडी को खोला गया। उसे देखने के बाद उन्होंने माना कि इसे उन्होंने ही तैयार किया था, जिसे 'सामग्री प्रदर्श-1' के तौर पर चिन्हित किया गया। उनसे कोई जिरह नहीं की गई। इस तरह, उनका बयान बिना किसी खंडन के कायम रहा।

(24) पीड़िता पीडब्लू-5 के तौर पर उपस्थित हुई। वह लगभग 9 साल की थी और मानसिक रूप से कमज़ोर थी। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि वह सवालों का मतलब समझने और बार-बार कोशिश करने व पिता की मदद के बावजूद उनके जवाब देने में असमर्थ थी। न्यायालय ने उसकी भाषा और हाव-भाव से तथ्यों को समझने की कोशिश की और उसे कोई शपथ नहीं दिलाई गई। यह दर्ज किया गया है कि उसने अपना नाम और अपने पिता का नाम 'बाबू पापा' बताया। उसने आगे बताया कि तिवारी (एतवारी) और रज़ाना (रमज़ानी) दोनों ने उसका मुँह और गला दबाया, उसे गोद में उठाकर ले गए और बेर की झाड़ियों में ले गए। उन्होंने उसके मुँह और गले पर कपड़ा बांधा और उसका अंडरवियर खोल दिया। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर अभी भी चोट के निशान हैं, जिन पर कॉटन की पट्टियाँ बंधी हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वह आगे कुछ भी बताने में असमर्थ थी, इसलिए मुख्य परीक्षा बंद कर दी गई। मुख्य परीक्षा में उसने बताया कि विवेचना अधिकारी ने उससे पूछताछ की थी। उसने एतवारी को पहचाना, जो न्यायालय में मौजूद था, और कहा कि यही तिवारी (एतवारी) है। एक सवाल पूछा गया कि क्या एतवारी के परिवार से कोई दुश्मनी है, लेकिन विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि वह सवाल समझ नहीं पाई। उसने आगे बताया कि वह शौच के लिए गई थी। दिन था या रात, इस सवाल का वह जवाब नहीं दे पाई। इस तरह, पिता की मदद से उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। आरोपी रमज़ानी की ओर से आगे की मुख्य परीक्षा में, न्यायालय ने दर्ज किया कि जब उससे उसके भाई का नाम पूछा गया, तो उसने सिर्फ 'बाबू' का नाम बताया; इसी नाम से वह अपने पिता को बुलाती थी, जो उसके साथ आए थे। उसने बताया कि वह स्कूल जाती है और तीसरी कक्षा में पढ़ती है। स्कूल का नाम पूछे जाने पर उसने सिर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हिलाकर मना कर दिया। माँ का नाम पूछे जाने पर उसने 'अम्मा' बताया। उसने आगे बताया कि वह आज ही गाँव से आई है और वह गाँव का नाम और परिवार के सदस्यों की संख्या नहीं बता पाई। उसे गिनती की भी जानकारी नहीं थी। जब उससे 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में पूछा गया, तो उसने 1, 2 और 3 संख्या बताए। अपनी बहन के बारे में उसने कहा कि 'दीदी ऊपर चली गई हैं'। उसने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। जब उससे पूछा गया कि कितने लोग उसे ले गए थे, तो उसने साफ़ तौर पर कहा कि दो लोग ले गए थे। इस बारे में उसने न सिर्फ़ बोलकर बताया, बल्कि अपना हाथ उठाकर और दो उंगलियाँ दिखाकर भी इशारा किया, लेकिन नामों को साफ़ तौर पर नहीं बता पाई। इस तरह, पीड़िता ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है।

(25) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और 119 में बताया गया है कि कौन गवाही दे सकता है, जो नीचे दिए गए हैं:-

118. कौन गवाही दे सकता है। --- सभी लोग गवाही देने के योग्य माने जाएंगे, जब तक कि न्यायालय को यह न लगे कि कम उम्र, बहुत ज्यादा बुढ़ापा, बीमारी चाहे शरीर की हो या मन की या इसी तरह के किसी अन्य कारण से वे उनसे पूछे गए सवालों को समझने या उनका सही जवाब देने में असमर्थ हैं।

स्पष्टीकरण। --- कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति गवाही देने के लिए अयोग्य नहीं है, जब तक कि उसकी बीमारी के कारण वह उससे पूछे गए सवालों को समझने और उनका सही जवाब देने में असमर्थ न हो।

119. गवाह जो बोलकर बात नहीं कर सकता। --- जो गवाह बोल नहीं सकता, वह किसी अन्य तरीके से अपनी गवाही दे सकता है जिससे बात समझी जा सके, जैसे लिखकर या इशारों से; लेकिन ऐसा लिखना और इशारे खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए, और इस तरह दी गई गवाही को मौखिक गवाही माना जाएगा:

बशर्ते कि अगर गवाह बोलकर बात नहीं कर सकता है, तो न्यायालय बयान दर्ज करने के लिए किसी इंटरप्रेटर या विशेष शिक्षक की मदद लेगी, और ऐसे बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।

(26) ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, जब तक न्यायालय को यह न लगे कि कोई व्यक्ति शरीर या मन की कमजोरी या इसी तरह के किसी अन्य कारण से उससे पूछे गए सवालों को समझने या उनका सही जवाब देने में असमर्थ है, तब तक सभी लोग गवाही देने के योग्य होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 का स्पष्टीकरण यह साफ़ करता है कि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति गवाही देने के लिए अयोग्य नहीं है, जब तक कि उसकी बीमारी के कारण वह उससे पूछे गए सवालों को समझने और उनका सही जवाब देने में असमर्थ न हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 119 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, तो वह किसी अन्य तरीके से अपनी गवाही दे सकता है जिससे बात समझी जा सके, जैसे लिखकर या इशारों से; लेकिन ऐसा लिखना और इशारे खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए, और इस तरह दी गई गवाही को मौखिक गवाही माना जाएगा। इसलिए, कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की गवाही को सिर्फ़ इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकता कि वह कमजोर दिमाग का है, अगर वह किसी भी तरीके से अपनी गवाही दे सकता है और न्यायालय उसे समझ सकता है।

(27) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह उर्फ दर्शन लाल' (2012) 5 एससीसी 789 के मामले में कहा है कि भाषा शब्दों से कहीं ज्यादा है और दूसरी सभी भाषाओं की तरह, इशारों से बातचीत करने की भी कुछ अपनी सीमाएँ होती हैं, क्योंकि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि इस्तेमाल करने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन किसी गूंगे व्यक्ति को सिर्फ उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण भरोसेमंद गवाह बनने से नहीं रोका जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, भले ही बोल न सके, अगर पढ़ा-लिखा है तो लिखकर या अगर पढ़ना-लिखना नहीं जानता तो इशारों और हाव-भाव से अपनी बात कह सकता है। संबंधित पैराग्राफ संख्या 28 और 29 नीचे दिए गए हैं:-

28. भाषा शब्दों से कहीं ज्यादा है। दूसरी सभी भाषाओं की तरह, इशारों से बातचीत करने की भी कुछ अपनी सीमाएँ होती हैं, क्योंकि यह समझना मुश्किल हो सकता है कि इस्तेमाल करने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन किसी गूंगे व्यक्ति को सिर्फ उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण भरोसेमंद गवाह बनने से नहीं रोका जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, भले ही बोल न सके, अगर पढ़ा-लिखा है तो लिखकर या अगर पढ़ना-लिखना नहीं जानता तो इशारों और हाव-भाव से अपनी बात कह सकता है। इसका एक उदाहरण मूक फिल्मों में हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर समझा जाता था क्योंकि वे नए तरह के इशारों और हाव-भाव से लोगों तक विचार पहुँचाने में सक्षम थीं। शरीर की भाषा और चेहरे के हाव-भाव पर जोर देने से दर्शक संदेश को समझ पाते थे।

29. संक्षेप में, बहरा और गूंगा व्यक्ति एक सक्षम गवाह होता है। अगर न्यायालय की राय में उसे शपथ दिलाई जा सकती है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा गवाह पढ़ना-लिखना जानता है, तो उसके बयान को लिखित रूप में सवाल पूछकर और लिखित रूप में जवाब लेकर दर्ज करना बेहतर होता है। अगर गवाह पढ़ना-लिखना नहीं जानता है, तो ज़रूरत पड़ने पर दुभाषिए की मदद से सांकेतिक भाषा में उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। अगर दुभाषिया उपलब्ध कराया जाता है, तो वह उसी परिवेश का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन मामले में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए।

(28) ऊपर बताए गए मामले में, बयान पिता और एक अनुवादक की मदद से दर्ज किया गया था और न्यायालय ने पाया था कि वह एक मामले में निजी दिलचस्पी रखने वाला गवाह था, और इसलिए उसने विचारण और विवेचना के दौरान मदद की थी, और शक का फायदा देते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। मौजूदा मामले में, पीड़िता का बयान पिता की मदद से, लेकिन दो गवाहों की मौजूदगी में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी, जिसे वीडियोग्राफ़र ने साबित किया है; उसने बताया कि पीड़िता ने धीरे-धीरे जवाब दिया था और उससे कोई जिरह नहीं की गई थी। पीड़िता से विचारण न्यायालय के सामने पूछताछ की गई है और वहाँ भी उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। हालांकि पिता के साथ दुश्मनी का तर्क दिया गया है, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया है; इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वह पीड़िता का पिता है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक 'हितबद्ध गवाह' था और बेगुनाह लोगों को मामले में फंसाया जाएगा। यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी देखा गया है कि पिता ने अपीलकर्ता और सह-आरोपी का नाम लेते हुए आवेदन तब दिया जब पीड़िता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद यानी लगभग एक महीने बाद घर लौटी और उसने उसे आरोपियों के बारे में बताया। अगर उसका इरादा सिर्फ दुश्मनी की वजह से अपीलकर्ता और सह-आरोपी को फंसाने का होता, तो वह घटना के तुरंत बाद ऐसा कर सकता था। वैसे भी, अपीलकर्ता द्वारा बताई गई दुश्मनी साबित नहीं हो सकी और यह न्यायालय यह समझने में नाकाम रहा कि कोई पिता अपनी बेटी की इज्जत और उसे होने वाले सामाजिक कलंक की कीमत पर बेगुनाह लोगों को कैसे फंसाएगा।

(29) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'बबन शंकर दफल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य' (एमएनयू/एससी/0099/2025) मामले में कहा है कि गवाहों की विश्वसनीयता, खासकर उन लोगों की जो पीड़िता के करीबी रिश्तेदार हैं, अक्सर परखी जाती है। हालांकि, रिश्तेदार होने से कोई गवाह अपने आप हितबद्ध या पक्षपाती नहीं हो जाता। "हितबद्ध" शब्द उन गवाहों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका मामले के नतीजे में कोई निजी हित हो, जैसे बदला लेने की इच्छा या दुश्मनी या निजी फायदे के लिए आरोपी को झूठा फंसाना। दूसरी ओर, "संबंधित" गवाह वह व्यक्ति होता है जो स्वाभाविक रूप से अपराध स्थल पर मौजूद हो सकता है, और पीड़ित से उनके रिश्ते के कारण ही उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों को उनके बयानों की विश्वसनीयता, निरंतरता और सुसंगतता का आकलन करना चाहिए, न कि उन्हें अविश्वसनीय करार देना चाहिए। संबंधित पैराग्राफ संख्या 28 और 29 नीचे दिए गए हैं:-

"28. आपराधिक मामलों में, गवाहों की विश्वसनीयता, खासकर पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों की, अक्सर जांच की जाती है। हालांकि, रिश्तेदार होने से कोई गवाह अपने आप "हितबद्ध" या पक्षपाती नहीं हो जाता। "हितबद्ध" शब्द उन गवाहों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका मामले के नतीजे में कोई निजी हित हो, जैसे बदला लेने की इच्छा या दुश्मनी या निजी फायदे के कारण आरोपी को झूठा फंसाना। दूसरी ओर, "संबंधित" गवाह वह व्यक्ति होता है जो स्वाभाविक रूप से अपराध स्थल पर मौजूद हो सकता है, और पीड़ित से उनके रिश्ते के कारण ही उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों को उनके बयानों की विश्वसनीयता, निरंतरता और सुसंगतता का आकलन करना चाहिए, न कि उन्हें अविश्वसनीय करार देना चाहिए।

29. "हितबद्ध" और "संबंधित" गवाहों के बीच अंतर को 'दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य' मामले में स्पष्ट किया गया था, जहां इस न्यायालय ने जोर दिया था कि एक करीबी रिश्तेदार आमतौर पर आखिरी व्यक्ति होता है जो किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाता है। इसलिए, संबंधित गवाह के सबूतों का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय को उनकी गवाही की निरंतरता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। यह तरीका यह सुनिश्चित करता है कि सबूतों को केवल पारिवारिक संबंधों के कारण खारिज न किया जाए, बल्कि उनकी अपनी विश्वसनीयता और मामले के अन्य सबूतों के साथ उनकी सुसंगतता के आधार पर उनका आकलन किया जाए। इस बात को इस न्यायालय ने इन मामलों में भी दोहराया है:

i. एमडी. रोजाली अली और अन्य बनाम असम राज्य (गृह मंत्रालय द्वारा सचिव);

ii. गणपति बनाम तमिलनाडु राज्य;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

iii. जयबालन बनाम पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश।"

(30) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'रवासाहब बनाम कर्नाटक राज्य' (एमएनयू/एससी/0248/2023) मामले में करीबी रिश्तेदारों की गवाही पर विचार करने के लिए ज़रूरी कुछ सिद्धांतों का जिक्र किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गवाह का करीबी रिश्तेदार होना ही उसकी गवाही को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है; यहाँ तक कि "पक्षपाती" या "हितबद्ध" गवाह की गवाही को भी बिना सोचे-समझे खारिज करने से न्याय नहीं हो पाएगा। संबंधित पैराग्राफ संख्या 17.4 नीचे दिया गया है:-

"17.4 - गवाह का करीबी रिश्तेदार होना ही उसकी गवाही को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यहाँ तक कि "पक्षपाती" या "हितबद्ध" गवाह की गवाही को भी बिना सोचे-समझे खारिज करने से न्याय नहीं हो पाएगा। एक बात गलत तो सब गलत का सिद्धांत हर मामले में लागू नहीं होता है।"

(31) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'महाराष्ट्र राज्य बनाम बंधु उर्फ दौलत' (2018) 11 एससीसी 163 मामले में, एक नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत दी गई सज़ा को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि पीड़िता मूक-बधिर है और कुछ हद तक मानसिक रूप से अक्षम थी; आरोपी ने उसे मिठाई का लालच देकर फुसलाया और बाज़ार ले गया; उसने इशारों से अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना की गई; पीड़िता की मेडिकल जांच से बलात्कार की पुष्टि हुई; जबकि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी कर दिया था कि पीड़िता से खुद पूछताछ नहीं की गई थी और बलात्कार की घटना व आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं हो सकी थी, जबकि पीड़िता ने न केवल अपने इशारों से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।

(32) पहले विवेचना अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक कल्लू सिंह भारती, पीडब्लू-8 के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 249/2013 की एफआईआर उनके सामने कोतवाली थाने, ज़िला उन्नाव में दर्ज की गई थी और प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर विवेचना उन्हें सौंपी गई थी। वह शिकायतकर्ता के साथ थाने से घटना वाली जगह पर गए और उसकी निशानदेही पर जगह का मुआयना किया और नक्शा स्थल तैयार किया, जो पेपर संख्या 7क/1 है और जिसे प्रदर्श क-3 के तौर पर मार्क किया गया है। गवाहों के बयान दर्ज करने और सादी मिट्टी व खून से सनी मिट्टी इकट्ठा करके उन्हें अलग-अलग डिब्बों में रखकर सील करने और सील तैयार करने के बाद, वह दूसरों के साथ शिकायतकर्ता की चाय की दुकान की ओर गए। उन्होंने घटना वाली जगह से पीड़ित के कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में रखा। उन्होंने आगे बताया कि उनकी पहले से दी गई सूचना पर डॉग स्कवाड यूनिट घटना वाली जगह पर पहुँच गई थी, जिसने प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से तलाशी ली और आरोपी एतवारी को भी तलाशा गया, लेकिन वह वहाँ नहीं मिला। हालाँकि, एक सूचनाकर्ता ने बताया कि गवाह महेश कुमार और शिव कुमार ने एतवारी को उस तरफ आते-जाते देखा था, इसलिए उन्हें बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए। जाँच के दौरान पता चला कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एतवारी खोरात बाग में अफ़ज़ल की चिकन कमीशन एजेंसी (आढ़त) पर था, इसलिए वह वहाँ गए और एतवारी को गिरफ्तार किया, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए; हालाँकि, एतवारी ने बताया कि उसने वे कपड़े धोकर रखे थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने 14.02.2014 को डॉंग स्क्वाड के प्रभारी नज़रुल हसन के बयान दर्ज किए, जो अपने साथ ब्रानो नाम का कुत्ता लाए थे; उस कुत्ते ने घटना वाली जगह को सूंघने के बाद एतवारी की चाय की दुकान और सीधे अफ़ज़ल के मुर्गी फार्म की ओर रुख किया। डॉंग ब्रानो की निशानदेही पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी रमज़ानी और एतवारी की ओर से उनसे कोई जिरह नहीं की गई और डॉंग स्क्वाड तथा कुत्ते की निशानदेही के संबंध में भी कोई जिरह नहीं की गई।

(33) डॉंग स्क्वाड के प्रभारी आरक्षी नज़रुल हसन पीडब्लू-3 के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि घटना की टेलीफोन पर सूचना मिलने के बाद, वे 'ब्रानो' नाम के कुत्ते के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। 'ब्रानो' कुत्ते ने आरोपी के पैरों के निशान सूंघे, फिर वह घटनास्थल पर गया और वहाँ से मुख्य सड़क पर पहुँचा; सड़क पार करने के बाद वह बाईं ओर और फिर दाईं ओर मुड़ा और ईंटों वाली सड़क से होते हुए अफ़ज़ल के मुर्गी फार्म तक गया, जो लगभग 200 मीटर दूर है। मुर्गी फार्म पर पहुँचने के बाद, कुत्ते ने आरोपी एतवारी की ओर इशारा किया और एतवारी ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने यह भी बताया कि वह मुर्गी फार्म अनवर नगर में है। उन्होंने ट्रैक रिपोर्ट जमा की थी। जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्हें डॉंग स्क्वाड की ट्रेनिंग दी गई है और वे डॉंग स्क्वाड में कुत्ते को गाइड करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुत्ते उनके इशारों को समझते हैं और सूंघने के बाद काम करते हैं। उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर, शिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत करके, उन्होंने एतवारी की पहचान करने के लिए कुत्ते को गलत तरीके से गाइड किया था। इन बातों को देखते हुए, पुलिस के डॉंग स्क्वाड के प्रशिक्षित कुत्ते ने भी आरोपी एतवारी की ओर इशारा किया था और डॉंग स्क्वाड के प्रभारी ने साबित किया कि प्रशिक्षित कुत्ते ने आरोपी की पहचान कैसे की और अपीलकर्ता ने अपराध कबूल किया था; जिरह में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे उनकी गवाही पर कोई शक पैदा हो सके। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-3, आरक्षी नज़रुल हसन की गवाही पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि हालाँकि उनसे जिरह की गई थी, लेकिन 'ब्रानो' कुत्ते को दिए गए उनके निर्देशों और उनकी विश्वसनीयता के बारे में कोई जिरह नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने नक्शा स्थल और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उपस्थित किए गए सबूतों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि घटनास्थल और आरोपी की गिरफ्तारी की जगह भी तय और साबित हो गई है। अन्य गवाहों की गवाही से भी इनकी पुष्टि हुई। हालाँकि, अपीलकर्ता को डॉंग स्क्वाड की रिपोर्ट के आधार पर दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि अभिलेख में मौजूद सबूतों और सामग्री पर विचार करने और यह पाने के बाद दोषी ठहराया गया कि हालात की कड़ियाँ केवल अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती हैं। इस प्रकार, डॉंग स्क्वाड के प्रभारी का बयान केवल सहायक है और इससे केवल आरोपी की गिरफ्तारी साबित होती है। इसके अलावा, डॉंग स्क्वाड की रिपोर्ट और स्निफर डॉंग द्वारा ट्रैकिंग के आधार पर अकेले किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललित कुमार यादव उर्फ कुरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; (2014) 11 एससीसी 129 के मामले में इस मुद्दे पर विचार किया है, और इसके संबंधित पैराग्राफ संख्या 34 से 38 नीचे दिए गए हैं:-

34. आखिर में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि स्निफर डॉग द्वारा आरोपी की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता का अपराध साबित करने के लिए इसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है।

35. अब्दुल रज्जाक मुर्तजा दफेदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1969) 2 एससीसी 234 में भी ऐसा ही तर्क दिया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह राय दी थी:

"11.....कि वैज्ञानिक जानकारी की मौजूदा स्थिति में, डॉग ट्रेकिंग के सबूत, भले ही स्वीकार्य हों, आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।"

36. गाडे लक्ष्मी मंगाराजू उर्फ रमेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 6 एससीसी 205 में, इस न्यायालय ने स्निफर डॉग से जुड़े सबूतों को स्वीकार करने के खिलाफ की गई आलोचना पर ध्यान दिया। आपति यह थी कि किसी इंसान की ज़िंदगी और आज़ादी को जानवरों की संवेदनाओं पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुत्ता गंध को गलत समझ सकता है या रास्ते (ट्रैक) को पहचानने में गलती कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियाँ हुई हैं। उस मामले में, अब्दुल रज्जाक मुर्तजा दफेदार (उपरोक्त) मामले के फैसले पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

"17. हमारी राय है कि आपराधिक न्यायालय को स्निफर डॉग पर आधारित सबूतों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ऊपर बताई गई कमियाँ होती हैं, हालाँकि हम अपराधियों का पता लगाने में मदद के लिए ऐसी स्निफर डॉग का इस्तेमाल करने वाली विवेचना एजेंसी के काम को गलत नहीं ठहरा सकते।"

37. दिनेश बोरठाकुर बनाम असम राज्य, (2008) 5 एससीसी 697 मामले में, जब इसी सवाल पर विचार किया गया, तो गाडे लक्ष्मी मंगाराजू (उपरोक्त) मामले का हवाला देते हुए इस न्यायालय ने कहा:

"40.....इसलिए, इस संबंध में कानून यह तय है कि हालाँकि विवेचना के मकसद से सूँघने वाले कुत्ते की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आरोपी का अपराध साबित करने के लिए उसकी क्षमताओं को सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता है।"

38. इस मामले में, विवेचना के लिए एक सूँघने वाले कुत्ते की मदद ली गई। उस कुत्ते ने आरोपी का पता लगाया और उसे अगले दिन शाम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना अधिकारी, अशोक कुमार यादव (पीडब्लू-10) ने अब्दुल लैस खान (पीडब्लू-4) के इस बयान की पुष्टि की कि "राजा" नाम के सूँघने वाले कुत्ते ने घटना स्थल से गंध सूँघकर आरोपी के घर का पता लगाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोपी को इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया गया है कि सूँघने वाले कुत्ते ने उसके घर का पता लगाया और उस पर भौंका। कुत्ते की ट्रेकिंग का सबूत केवल यह दिखाता है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया गया। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने आरोपी के मकसद पर ध्यान दिया। राम चंद्र चौरसिया (पीडब्लू-1) ने अपनी गवाही में बताया कि घटना की तारीख से कुछ दिन पहले, आरोपी ने उनकी बेटी को परेशान किया था और उसे धमकी भी दी थी। उनकी बेटी कुमारी "X" ने आरोपी के गलत व्यवहार की शिकायत अपने चचेरे भाई अशोक कुमार से की थी और अशोक कुमार ने इसके लिए आरोपी को फटकार लगाई थी। बाद में अशोक कुमार की मृत्यु हो गई, लेकिन लड़की के पिता की गवाही काफी ठोस और विश्वसनीय है। यह घटना स्पष्ट रूप से आरोपी के मकसद को दर्शाती है।

(35) ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, हालांकि यह परिस्थितिजन्य सबूतों का मामला है, लेकिन परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला लगातार अपीलकर्ता के अपराध की ओर ही इशारा करती है। सह-आरोपी रमजानी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी अपील समाप्त हो गई है।

(36) परिस्थितिजन्य सबूतों के मामले में, अभिलेख पर मौजूद सबूतों और सामग्री का विश्लेषण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य' (एआईआर 1984 एससी 1622) मामले में तय किए गए 5 सुनहरे सिद्धांतों (पंचशील) के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में परिस्थितिजन्य सबूतों पर विचार करते हुए यह कहा गया था कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है कि सबूतों की श्रृंखला पूरी है, और अभियोजन पक्ष की किसी कमी या खामी को झूठे बचाव या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। वे 5 सुनहरे सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

"(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से साबित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो निश्चित रूप से साबित हों, न कि केवल 'हो सकती हैं' वाली स्थिति में हों;

(2) इस तरह साबित हुए तथ्य केवल आरोपी के दोषी होने की परिकल्पना से मेल खाने चाहिए; यानी, उन्हें आरोपी के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना से नहीं समझाया जा सके;

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और झुकाव वाली होनी चाहिए;

(4) उन्हें उस परिकल्पना को छोड़कर जिसे साबित करना है, बाकी सभी संभावित परिकल्पनाओं को खारिज करना चाहिए; और

(5) सबूतों की एक ऐसी पूरी कड़ी होनी चाहिए जो आरोपी के निर्दोष होने के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाए कि पूरी मानवीय संभावना के अनुसार यह काम आरोपी ने ही किया होगा।"

(37) पीडब्लू-13, सैयद मोहम्मद अज़मेरी के संबंध में, जिन्हें पक्षद्रोही गवाह भी घोषित किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि उनके सबूतों के विश्लेषण के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि वह आरोपी एतवारी को नहीं जानते और उनके सबूत विश्वसनीय हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(38) उपरोक्त को देखते हुए, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में, अपीलकर्ता ने कहा कि उसे दुश्मनी के कारण झूठे और गलत तरीके से फंसाया गया है और गलत और झूठे बयान दिए गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह कोई बचाव पक्ष रखेगा, उसने 'हां' कहा। पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने पुलिस और बिचौलियों की मिलीभगत से मामला दर्ज कराया है। यह पूछे जाने पर कि क्या कुछ और कहना है, उसने कहा कि अफज़ल की चिकन कमीशन एजेंसी (आदत) पर शिकायतकर्ता के साथ उसका झगड़ा हुआ था, और दुश्मनी के कारण उसे फंसाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा ली गई दुश्मनी की दलील साबित नहीं हुई है और अपीलकर्ता द्वारा कोई सबूत उपस्थित नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऐसी कोई दुश्मनी साबित नहीं हो सकी और अगर कोई मामूली झगड़ा हुआ भी हो, तो यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि एक पिता और भाई अपनी बेटी/बहन की प्रतिष्ठा और उसे होने वाले सामाजिक कलंक की कीमत पर अपीलकर्ता को फंसाएंगे।

(39) ऊपर बताई गई बातों और मामले के सभी तथ्यों और हालात को देखते हुए, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय ने सबूतों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, सही तरीके से और कानून के अनुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई। आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई गैर-कानूनी बात या गलती नहीं है; यह फैसला सबूतों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश के ज़रिए दिया गया है, और अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कोई भी आधार कानून की नज़र में मान्य नहीं हैं।

(40) यह अपील गलत आधार पर है और इसे खारिज किया जाना चाहिए; इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सज़ा-योग्य अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे सुनाई गई सज़ा की पुष्टि की जाती है।

(41) इस फैसले की एक कॉपी, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, जानकारी और पालन के लिए संबंधित न्यायालय को तुरंत और किसी भी हाल में आज से दो हफ़्ते के भीतर भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद) (न्यायमूर्ति राजनिश कुमार)

आदेश दिनांक- 26.02.2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।